

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—409/2016/223 (2016/00409)

1. श्रीमती सुगनी पत्नि जीवण,
2. हीरालाल पुत्र जीवण,
3. कालू पुत्र जीवण,
समस्त जाति कुम्हार प्रजापत, नि० ठीकराना मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर
जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती जुबैदा पत्नि रफीक, जाति मुसलमान, निवासी लोहरान मौहल्ला,
ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. सोहनलाल पुत्र मंगलराम, जाति कुमावत, नि० निमाज, तहसील जैतारण,
जिला पाली ।
3. राजेन्द्र मेहता पुत्र चम्पालाल मेहता, जाति जैन, नि० बिचड़ली मौहल्ला,
ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. पवन कुमार पुत्र रामदेव,
5. रामदेव पुत्र बालूराम (मृतक) जरिये वारिसान:—
5/1— भंवरी देवी पत्नि रामदेव,
5/2— वल्लभ पुत्र रामदेव,
5/3— पवन पुत्र रामदेव,
समस्त जाति उपाध्याय, निवासी बिरटियाकंला, तह०रायपुर, जिला पाली ।
6. भारती जैन पुत्री शांतिलाल पगारिया, जाति जैन, नि० लोकाशाह नगर,
ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. बाबूलाल पुत्र नारायण दास वैष्णव, जाति वैष्णव, नि० बिराटियाकंलां, तह०
रायपुर, जिला पाली ।
8. श्रीमती ज्योति अरोड़ा, पत्नि कमल अरोड़ा, जाति खत्री, निवासी डिग्गी
मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती गीतादेवी पत्नि अजीतसिंह जाति रावत, नि० काबरा, तह० ब्यावर,
जिला अजमेर ।
10. श्रीमती मिरगीदेवी पत्नि उकाराम, जाति देवासी, नि० रूपनगर गणेशपुरा,
तह० जैतारण, जिला पाली ।
11. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि मोतीलाल सीरवी, जाति सीरवी,
12. मोतीलाल पुत्र रामा सीरवी, जाति देवरिया, तह० जैतारण, जिला पाली ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।

रेस्पोंडेंटस

14. ओमप्रकाश पुत्र जीवण,
15. भगवान पुत्र जीवण,
समस्त जाति कुम्हार प्रजापत, नि० ठीकराना मेन्द्रातान, तह० ब्यावर,जिला,
अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय
व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 1.2.2016 अंतर्गत
राजस्व वाद संख्या 136/2014.

उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री केकेपुरोहित, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री समीर अहमद, वकील रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12.
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 13.

निर्णय**दिनांक:-11.10.2018**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.9.2015 के विरुद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं बेदखली हेतु अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरुद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 498 रकबा 18 बिस्वा मौजा ठीकराना मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर में अवस्थित है जो वादिया एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, मौके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसमें वादिया का 1/13 हिस्सा निहित है । वादिया के हिस्से की भूमि के पूर्व एवं उत्तर दिशा में दीगर व्यक्तियों की जमीन है, पश्चिम में प्लॉट संख्या 6 तथा दक्षिण में 15 फीट चौड़ा रास्ता है । क्रय दिनांक से वादिया उसके हिस्से की भूमि पर काबिज चली आ रही है लेकिन दिनांक 2.2.2011 को प्रतिवादी संख्या 12 से 16 जो जीवण के वारिसान हैं, ने कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर फौजदारी कार्यवाही हुई और प्रतिवादी संख्या 12 से 16 ने वादिया के प्लॉट पर अतिक्रमण कर दो पक्के कमरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिनको दिनांक 20.6.2014 एवं 15.10.2014 को अतिक्रमणहटाने हेतु निवेदन करने पर इंकार हो गये जिससे बंटवारा वाद आवश्यक हुआ । वादिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अंत में निवेदन किया कि बाहमी बंटवारे अनुसार वादिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 की क्रयशुदा भूमि का न्यायिक किया जाकर क्रयशुदा भूखण्ड ही वादिया को बंटवारे में दिया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 16 को बेदखल कर उनके द्वारा मुर्तिब मकान ध्वस्त कर वादिया को काबिज कराने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधीन्याया ने वाद दर्ज कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 24.9.2015 को पारित कर वादिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् अधीन्याया ने बंटवारा प्रस्ताव होने पर प्रकरण में दिनांक 1.2.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की । अधीन्याया के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 1.2.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्ट्र की जाकर रेस्पोडेंट को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 1, 11 व 12 उपस्थित । रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 के अनुपस्थित रहने तथा अधीन्याया का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंट को अधीन्याया द्वारा प्रोपर नोटिस तामील नहीं करवाये गये क्योंकि प्रतिवादी संख्या 14 भगवान पुत्र जीवण विगत ढाई-तीन वर्षों से जेल में है, जिसे कोई नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुआ इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 14 के नोटिस भाई एवं पुत्र को तामील होना मानकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जो दिनांक 28.1.2015 को निरस्त की गई

तत्पश्चात् दिनांक 31.3.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 14 के विरुद्ध पुनः एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जिससे प्रतिवादीगण कोई जवाबदावा प्रस्तुत कर सके थे । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 498 एवं इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 497 व 499 के रिकार्डेड खातेदार जमाबंदी संवत् 2042 लगायत 2045 के अनुसार जीवण, नाहरा, भंवरू पुत्रान पूना कौम कुम्हार थे जिनसे जरिये नामांतरण संख्या 88 दिनांक 8.3.1988 के अनुसार खसरा नंबर 498 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी जीवण पुत्र पूना के नाम दर्ज हुआ है । इसी खसरा नंबर के लगती हुई भूमि खसरा नंबर 497 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नंबर 499/1 रकबा 4 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार जीवण के वारिसान के नाम खातेमदारी हक से दर्ज है । इस प्रकार खातेदारी की भूमि पर ही जीवण द्वारा मकान बनाये गये हैं तत्पश्चात् भूमि खसरा नंबर 498 जरिये नामांतरण संख्या 97 दिनांक 15.1.1988 के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ है जिसमें जुबैदा का कहीं पर भी नाम अंकित नहीं है । खसरा नंबर 498 में केवल मात्र जीवण के वारिसान का ही हक व अधिकार है । जीवण खसरा नंबर 497, 498 व 499 का खातेदार था तब ही जीवण ने मकान बना लिया था एवं सपरिवार निवास प्रारंभ कर दिया था तब से जीवण मय परिवार निवास करता आ रहा था एवं जीवण के स्वर्गवास के बाद अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 निवास करते आ रहे हैं । अपीलांटस ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि वादिया द्वारा वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया था एवं क्रय से पूर्व ही कब्जे के अभाव में बंटवारा तथा बेदखली का वाद लाने का वादिया को कोई अधिकार नहीं था । वादग्रस्त भूमि का आदिनांक तक न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में भूखण्ड संख्या 7 का विशिष्ट भाग बिना बंटवारे के वादिया/रेस्पो0 संख्या ने किस आधार पर क्रय किया है यह दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् जीवण पुत्र पूना द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 सोहनलाल पुत्र मंगलाराम कुमावत के हक में इकरारनामा निष्पादित किया था जिस बाबत् 4000/-रु0 सोहनलाल द्वारा जीवण को प्रदान किये गये थे एवं 25,000/-रु0 बरवक्त पंजीयन प्रदान किये जाकर कब्जा व दखल प्रदान करने बाबत् इकरारनामा निष्पादित किया गया था लेकिन सोहनलाल द्वारा न तो शेष रकम अदा की गई एवं न ही जीवण द्वारा सोहनलाल के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र ही निष्पादित किया गया था और न ही कब्जा प्रदान किया गया था बल्कि जीवण एवं उसके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्राथमिक आज्ञापति में यह स्पष्ट अंकन किया है कि यदि वादग्रस्त भूमि पर आवासीय मकान निर्मित किया जा चुका है, इसलिये इस बात का भी विशेष ध्यान नहीं रखा जावे कि वादग्रस्त आराजी पर खातेदारान द्वारा यदि कृषि भूमि का रूपांतरण कराये बिना गैर कृषि प्रयोग किया गया हो तो बंटवारा प्रस्ताव नहीं भिजवाया जाकर प्रकरण में धारा 177 आर0टी0ए0 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावे । चूंकि अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्पष्ट सिद्ध हो चुका था कि जीवण द्वारा भूमि पर पक्के मकान बनाये जा चुके हैं जिनमें वर्तमान में जीवण के वारिसान निवास कर रहे हैं एवं स्वयं वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में के अनुसार विवादित भूमि रकबा 18 बिस्वा के कुल 13 भूखण्ड काटे गये हैं जिनमें से भूखण्ड संख्या 7 वादिया द्वारा क्रय किया गया है जिससे स्पष्ट है कि

वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 498 रकबा 18 बिस्वा गैर कृषि उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है जिससे न तो बंटवारा प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती थी एवं ना ही क्रेतागण के नाम पृथक पृथक खाते कायम किये जा सकते थे वरन् संपूर्ण आराजियात राजहित में निहित होनी चाहिये थी। तहसीलदार, ब्यावर ने भी अपनी पत्र दिनांक 17.12.2015 में यह उल्लेख किया है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है तत्पश्चात् कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चौसाला संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 479 में 12 हिस्सेदार दर्ज होकर 13 हिस्से के खातेदार अंकित है अधिकांश बाहर के निवासी होने से प्लॉट नंबर कौनसा किसका है जानकारी नहीं हो सकी है। इसके बावजूद पटवारी हल्का ने कुरेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वादिया के प्लॉट को दर्शाकर शेष सह-खातेदारान के बंटवारे में कौन सा भूखण्ड आया है बाबत् कोई अंकन नहीं किया एवं न ही शेष खातेदारान के कुरेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही है। तहसीलदार द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा त्रुटिपूर्ण एवं विरोधाभासी है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि सहखातेदारान का बंटवारा करने बाबत् न तो कोई निर्णय पारित किया गया है एवं ना ही डिक्री जारी की गई है जिससे विद्वान अधी०न्याया० द्वारा पारित अंतिक डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जावे।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधी० पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० द्वारा पक्षकारान को प्रोपर तामील नहीं करवाये गये थे। श्रवण के वारिसान में भगवान पुत्र जीवण विगत ढाई-तीन सालों से जेल में है जिसे कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया एवं उसके तथा जीवण के सभी वारिसान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी। राजस्व ऐजेन्सी ने 22.9.2016 को मकान ध्वस्त करने का प्रयास किया तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तत्पश्चात् अपीलांटस ने दिनांक 23.9.2016 को ब्यावर जाकर आवश्यक नकले प्राप्त कर अधिवक्ता से संपर्क उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।
7. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। विवादित आराजी खसरा नंबर 498 रकबा 18 बिस्वा का खातेदार जीवण था। खातेदार ने विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के सन् 1988 में 13 व्यक्तियों को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। विवादित भूमि के एक क्रेता अम्बालाल से वादिया/रेस्पो० संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विवादित भूमि का 1/13 हिस्सा दिनांक 4.6.1997 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। वादिया के विक्रय पत्र में प्लॉट संख्या 7 का अंकन किया गया है। विक्रय पत्र के आधार पर वादिया/रेस्पो० संख्या 1 के पक्ष में उसके हिस्से बाबत् नामांतरण तस्दीक किया गया है। विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने बहस में यह भी कथन किया कि विवादित भूमि में सहखातेदारान द्वारा मौके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार वादिया का 1/13 हिस्सा विवादित आराजी में निहित है। वादिया ने जो भूमि क्रय की उसके पूरब में दीगर की जमीन उत्तर में दीगर की जमीन, पश्चिम में प्लॉट संख्या 6 तथा दक्षिण में 15 फीट चौड़ा रास्ता है। वादिया इन्हीं सीमाओं के मध्य स्थित क्रयशुदा प्लॉट पर काबिज थी किन्तु प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर मकान का निर्माण

करा लिया जिससे उन्हें किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधी०न्याया० ने बाहमी बंटवारे को ध्यान में रखकर बंटवारे के प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया था तथा यह भी निर्देश दिये थे यदि वादिया के हिस्से पर निर्माण पाया जावे तो धारा 177 राज०काश्त०अधि० के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावे । इससे यह स्पष्ट है कि अधी०न्याया० ने बाहमी बंटवारे को सही माना है । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादिया/रेस्पो० संख्या 1 के वाद में बंटवारे एवं बेदखली की डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

8. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
9. प्रकरण के गुणावगुण पर अधी०न्याया० की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान अधी०न्याया० ने रेस्पो० संख्या 1/वादिया के वाद को आंशिक स्वीकार कर दिनांक 34.9.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम के खसरा नंबर 498 रकबा 00-18-10 किस्म बारानी-1 में वादिया का उसके 1/13 हिस्से अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित अन्य सहखातेदारान का उनके हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने के आदेश तहसीलदार, ब्यावर को दिये हैं तथा तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये थे कि पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है किन्तु वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से में आई भूमि पर उसका कब्जा नहीं है । अतः इस तथ्य को आधार बनाकर बंटवारा प्रस्ताव रोका नहीं जावे । यथा संभव बाहमी बंटवारे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जावे । वादग्रस्त आराजी पर मौके पर कौन-कौन अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है उनका बंटवारा प्रस्ताव के साथ पृथक से अंकन किया जावे । बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात यदि मामला अंतर्गत धारा 183 राज०काश्त०अधि० के तहत बनना पाया जाता है तो नियमानुसार अंतिम निर्णय/डिक्री में इसका उल्लेख किया जाकर निर्णय पारित किया जावेगा । यह भी निर्देश दिये कि यदि वादग्रस्त आराजी पर खातेदारान द्वारा यदि कृषि भूमि का रूपांतरण करवाये बिना गैर कृषि प्रयोग किया गया हो तो बंटवारा नहीं भिजवाया जाकर प्रकरण में धारा 177 राज०काश्त०अधि० के अंतर्गत कार्यवाही की जावे । अधी०न्याया० द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में दिये गये निर्देशों की पालना में तहसीलदार, ब्यावर ने पत्र क्रमांक भू.अ./15/123 दिनांक 12.1.2016 से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी०न्याया० को भिजवाये थे जिस पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । बंटवारा प्रस्ताव पर बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्ता ने तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति होना जाहिर नहीं किया जाने पर विद्वान अधी०न्याया० ने दिनांक 01.02.2016 को अंतिम डिक्री पारित कर आदेश दिये कि वादिया श्रीमती जुबैदा का कृषि भूखण्ड संख्या 7 बंटवारा प्रस्ताव अनुसार उसके हिस्से में आता है जिस पर प्रतिवादी संख्या 12 से 16 ने निर्माण कर नाजायज कब्जा किये जाने के तथ्य तहसीलदार ने अपने बंटवारा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकित है जो कि

एक अतिक्रमी है जिस पर वादिया कब्जा प्राप्ति की अधिकारी पाई जाती है । अधी०न्याया० ने अपने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 1.2.2016 में तहसीलदार ब्यावर को यह निर्देश दिये थे कि वादिया के कृषि भूखण्ड संख्या 7 पे प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 16 को बेदखल किया जाकर वादिया को कब्जा दिलाया जावे । अधी०न्याया० ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 1.2.2016 प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के आधार पर पारित की है । यदि अपीलांट/प्रतिवादी को तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.1.2016 से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी०न्याया० के समक्ष उठाना चाहिये था किन्तु [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर नहीं कर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अधी०न्याया० के समक्ष अपीलांटस द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर नहीं करना स्वीकारोक्ति ही मानी जावेगी । हम विद्वान अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2016 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

10. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर